संख्या– 2026 /VII-1/2018/56 ख/16

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(17)

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 24 जनवरी, 2018

विषयः गंगा नदी में अवस्थित चुगान लॉटों में मौजूद उपखनिज की मात्रा पुनर्निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जनपद हरिद्वार में संचालित खनन/चुगान लाटों में उपखनिज निकासी की मात्रा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्र० सं०	लॉट का नाम	कुल क्षेत्रफल (है० में)	पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित मात्रा (घनमीटर में)	प्रति है० कुल मात्रा (घनमीटर में)
1.	रवासन–1	99.19	4,96,000	5000.5
2.	रवासन–2	100.59	3,16,000	3141.5
3.	गंगा श्यामपुर	219.442	3,08,000	1403.6
4.	गंगा चिड़ियापुर	325.74	2,07,000	635.5
5.	गंगा विशनपुर	237.918	1,67,000	701.9
6.	कोटावली	74.76	76,000	1016.6
7.	गंगा भोगपुर	190.57	2,38,000	1485.0

2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा संचालित चुगान लॉट रवासन–1 हेतु पर्यावरणीय अनुमति में उपखनिज निकासी की मात्रा 5000 घनमीटर प्रति है० निर्धारित की गई है, जबकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी में अवस्थित रवासन–1 को छोड़ते हुए अन्य उक्त चुगान लॉटों में उपखनिज की मात्रा कम आंकलित करते हुए उपखनिज निकासी की मात्रा निर्धारित की गई है, जिसके कारण अन्य चुगान लाटों में रवासन–1 के सापेक्ष उपखनिज की निकासी कम होने से राज्य की राजस्व प्राप्ति प्रभावित हो रही है।

3. अक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जनपद हरिद्वार में संचालित खनन/चुगान लाटों में गौला नदी के सापेक्ष गंगा नदी के लाटों में उपखनिज निकासी की मात्रा कम निर्धारित की गई है, जिससे गंगा नदी के चुगान लाटों से उपखनिज की निकासी कम हो रही है।

4. उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा नदी में अवस्थित अन्य चुगान लाटों में रवासन–1 की भांति उपखनिज निकासी की मात्रा 5000 घनमीटर प्रति है० निर्धारित किये जाने तथा गौला नदी के सापेक्ष गंगा नदी के लाटों में उपखनिज निकासी की मात्रा में वृद्धि किये जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए तद्नुसार जनपद हरिद्वार के अन्य चुगान लाटों से उपखनिज निकासी की मात्रा में वृद्धि किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या– 2026 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।

आज्ञा से,

18.01.18

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव